तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1.9.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा·पत्र आदेश 22 नि·04 जा·दी एंव धारा 05 मियाद अधि· पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई प्रकरण मे वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस प्रा·पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि विपक्षी रेस्पो· स·1 चांदी बाई का स्वर्गवास दिनांक 9-11-24 को हो गया है। मृतक के विधिक वारसान को रिकार्ड पर लिया जावे। विधिकवारसान को रिकार्ड पर लेने बाबत प्रा·पत्र समय अवधि मे इस लिए प्रस्तुत नही किया जा सका क्यों कि प्रार्थीया ग्रामीण परिवेश की होकर वृद्ध अनपढ होने से अपने अधिवक्ता को समय पर सूचित नही कर सकी जानकारी कर देरी नही कि है। मृतक के विधिक वारसान को रिकार्ड पर लिये जाने मे अधिक व्यतित हुई देरी को न्यायहित मे क्षमा किये जाने बाबत अलग से धारा 05 मियाद अधि· का प्रा·पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी का प्रा·पत्र आदेश 22 नि·04 जा·दी का स्वीकार फरमाय जाकर विधिकवारसान को रिकार्ड पर लिया जावे। इस पर वकील रेस्पो· ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि अपीलान्ट स्वंय मृतक रेस्पो· 1 चादी बाई की करीबी रिश्तेदार है। मृतक रेस्पो· 1 के निधन की जानकारी मृत्यु दिनांक से ही है। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दिनांक 11-11-24 को रेस्पो· चांदी बाई की मृत्यु होने की जानकारी न्यायालय मे दि गई, अपीलान्ट ने प्रा·पत्र विलम्ब से पेश कर झूठा कारण अंकित किया है। अपीलान्ट ने अपने प्रा·पत्र मे रेस्पो· 1 का दिनांक 9-11-2024 को निधन होना बताया है, जबकि प्रा·पत्र दिनांक 24.3.25 को पेश किया गया है। जिससे ये साबीत होता है कि प्रा·पत्र अवधिबहार होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपीलान्ट का प्रा·पत्र आदेश 22 नि· 04 जा·दी का व धारा 05 मियाद अधि· का खारिज किया जाकर अपील अपीलान्ट की अबेट कि जावे। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पुर्वक सुना गया व प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण का अवलोकन

...क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	करने पर वकील अपीलान्ट ने दिनांक 11-11-24 को रेस्पो. चांदी बाई की मृत्यु होने की सूचना न्यायालय मे दि जाकर कायम मुकाम प्रा. पत्र पेश करने का अवसर चाहा गया था। किन्तु अपीलान्ट के अधिवक्ता ने तीन अवसर लेने के पश्चात दिनांक 24.3.25 को प्रा.पत्र आदेश 22 नि.04 व धारा 05 मियाद अधि. का पेश किया, जो लगभग चार माह यानि 120 दिन पश्चात पेश किया है। जबकि CPC के प्रावधानो के अनुसार मृत्यु की जानकारी होने से 90 दिवस की समय अवधि के अन्दर प्रा.पत्र आदेश 22 नि.04 जा.दी. के तहत नियमानुसार पेश किया जाना होता है। प्रा.पत्र आदेश 22 नि.04 CPC के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाना होता है, जो साथ पेश नही किया है। उक्त प्रा.पत्र के साथ प्रा.पत्र धारा 05 मियाद अधि. का पेश किया है। उसमे भी अपीलान्ट ने प्रति दिन विलम्ब होने का कोई ठोस कारण का अंकन नही किया है। प्रकरण मे विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा.पत्र आदेश 22 नि. 04 जा.दी. का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. चांदी बाई की मृत्यु दिनांक 9-11-24 का अंकन किया हुआ है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र दिनांक 24.3.25 को पेश किया हुआ है। जो जानकारी होते हुए भी विलम्ब से प्रस्तुत किया है एवं विलम्ब का कोई ठोस कारण का उक्त प्रा.पत्र मे अंकन नही किये जाने से प्रा.पत्र आदेश 22 नि.04 जा.दी. का खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 22 नि.04 जा.दी. एवं धारा 05 मियाद अधि. का खारिज किया जाता है। साथ ही रेस्पो. पुन चांदी बाई की मृत्यु होने से तथा उसके विधिक वारिसान को यथासमय रिकार्ड पर नही लिये जाने से अपील अपीलान्ट की अबेट कि जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से काम हो।	